13

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 2/2022

केशरदेव मीणा पुत्र स्व0 श्री झाबरमल मीणा, वार्ड नं0 53, सरस्वती स्कूल के पीछे, राधाकिशनपुरा, सीकर, पिन कोड 332001, मो0न0 9351625644

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 27.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 2/2022 पर दिनांक 04.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/28–29 दिनांक 04.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक भू0अ0/2022/117 दिनांक 19.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी केशरदेव मीणा पुत्र स्व0 श्री झाबरमल मीणा, वार्ड नं0 53, सरस्वती स्कूल के पीछे, राधाकिशनपुरा का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/2485 दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से प्रार्थी को जरिये डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर पत्रांक भू0अ0/2022/117 दिनांक 19.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी केशरदेव मीणा पुत्र स्व0 श्री झाबरमल मीणा, वार्ड नं0 53, सरस्वती स्कूल के पीछे, राधाकिशनपुरा का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/2485 दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से प्रार्थी को जरिये डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं